उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून – 248008

पढ़े चलो, बढ़े चलो
RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ABHIYAN

सूचना का अधिकार

फोन : 0135.2780422, वैबसाइट : http://rmsa.uk.gov.in/] ई–मेल : rmsauk@gmail.com

विज्ञप्ति सं0:–रा0मा0शि0अ0/628-30/41–वाहन निविदा/2017–18 दिनांक 01/मई, 2017

निविदा/किराये के वाहनों की आपूर्ति

राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून को अपने अधीन चल रही परियोजनाओं में कार्यालय प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के डीजल चालित वाहनों को मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये पर लेने की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए देहरादून के अनुभवी व पंजीकृत ट्रेवल एजेन्सियों/ट्रान्सपोर्टरो/वाहन स्वामियों (जिनका संचालन कार्यालय देहरादून में स्थापित है) से तकनीकी एवं वित्तीय बिड रा0प0का0, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, में निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र0	विवरण/कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
1	वेबसाइट **www.rmsa.uk.gov.in** पर Tender Document उपलब्ध होने की तिथि	03.05.2017
3	राज्य परियोजना कार्यालय से Tender Document प्राप्त करने की अंतिम तिथि	01.06.2017 तक
2	निविदा को सीलबंद लिफाफे में रखकर राज्य परियोजना कार्यालय, राष्टीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि।	02.06.2017 दोपहर 12.00 बजे तक
3	तकनीकी एवम् वित्तीय बिड खोलने की तिथि	02.06.2017 अपराह्न 3.00 बजे

इच्छुक फर्में निविदा के विस्तृत नियम निर्देश शर्तें एवं आवेदन पत्र वेबसाइट **www.rmsa.uk.gov.in** से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष संख्या 0135–2780422 पर सम्पर्क कर सकते है।

ह0–
राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांक– रा0मा0शि0अ0/628-30 /41–वाहन निविदा/2017–18 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि– प्रधान सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण तथा दैनिक अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को **दिनांक 03.05.2017** को अपने उत्तराखण्ड संस्करण में 9 x 7 से0मी0 स्पेस में निर्धारित डी0ए0वी0पी0 दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें, तथा बिल 2 प्रतियों में जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित करा कर इस कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

प्रशासनिक अधिकारी
राज्य परियोजना कार्यालय।

उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून – 248008

पढ़े चलो, बढ़े चलो
RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ABHIYAN

सूचना का अधिकार

फोन : 0135.2780422, वैबसाइट : http://rmsa.uk.gov.in/] ई–मेल : rmsauk@gmail.com

निविदा/किराये के वाहनों की आपूर्ति

निविदा प्रपत्र

क्र0सं0....................

विक्रय दिनांक.. निविदा मूल्य : रू0 250.00

फर्म का नाम.. **Non-Refundable**

.... अंतिम तिथि 02.06..2017 समय : दोपहर : 12:00 बजे तक

राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून को अपने अधीन चल रही परियोजनाओं में कार्यालय प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के डीजल चालित वाहनों को मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये पर लेने की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 यथा दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अथवा निविदा आमंत्रण की अगली तिथि तक के लिए अनुभवी व पंजीकृत ट्रेवल एजेन्सियों/ट्रान्सपोर्टरो/वाहन स्वामियों (जिनका संचालन कार्यालय देहरादून में स्थापित है) से तकनीकी एवं वित्तीय बिड (पृथक पृथक सीलबंद लिफाफे में) राज्य परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड में निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदादाता वाहन हायरिंग से संबंधित निविदा प्रपत्र रू0 250/– (रूपये दो सौ पचास मात्र) नगद भुगतान करते हुए विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से **दिनांक 01.06..2017 तक** किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सुलभ संदर्भ हेतु निविदा विभाग की वेबसाइट rmsa.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है, किन्तु निविदा प्रपत्र कार्यालय से ही क्रय किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा दिनांक **02.06.2017** को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सकता है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक **02.06.2017** को अपराह्न 03:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

निविदाताओं हेतु आवश्यक निर्देश

1– पात्र आवेदकः–

- पात्र आवेदक से आशय ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी से है जो इस निविदा में दी सभी शर्तों को पूर्ण करता है। आवेदक को अपनी पात्रता से सम्बन्धित **सेवाकर पंजीकरण, पैन न0, आयकर रिटर्न की विगत दो वित्तीय वर्षों की प्रति** अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी होगी। निविदाता के पास **02 वर्ष** (वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17) **का सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं/कार्यालयों में सन्तोषजनक कार्य करने का अनुभव** होना चाहिए।

2– निविदादाता का उत्तरदायित्व

- निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा प्रपत्र का भलीभांति अध्ययन कर लें और यह सुनिश्चित कर ले कि वह सभी शर्तों को पूर्ण करता है। किसी समय निविदादाता की शर्तों की पूर्ति में विफल रहने का जोखिम निविदादाता का होगा। निविदादाता सावधानीपूर्वक निविदा प्रपत्रों को भर कर निर्धारित समयान्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून में जमा करे। कोई त्रुटि होने पर वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

3– आवेदन पत्र तैयार किया जाना

- निविदादाता द्वारा अपना निविदा प्रस्ताव इस आवेदन प्रपत्र के साथ दिए गए प्रारूप के अनुसार ही तैयार करना है।
- तैयार प्रारूप को निविदादाता द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित संलग्नक प्रतियां संलग्न कर दी गई है।
- राज्य परियोजना कार्यालय को भी आवेदन करने की अंतिम तिथि तथा समय पर बन्द लिफाफे में उपलब्ध करानी होगी।

4– निविदा की अवधि

सफल निविदादाता के साथ अनुबन्ध की अवधि 31 मार्च 2018 तक अथवा आगामी निविदा होने तक, जो भी बाद में हो।

5– वाहनों की मांग एवं आपूर्ति–

राज्य परियोजना कार्यालय, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा अन्य केन्द्रीय योजनाओं के संचालन हेतु दैनिक व मासिक आधार पर आवश्यकता होगी। उसके अतिरिक्त समय–समय पर अन्य वाहनों की भी उत्तराखण्ड राज्य एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु भी आवश्यकता पड़ती रहती है। चयनित एजेन्सी द्वारा निविदा स्वीकृत आदेश के जारी होने की तिथि से समय–समय पर मांग के अनुसार मुख्यालय तथा उपर्युक्त स्थलों पर वाहनों की आपूर्ति की जायेगी।कार्यालय की आवश्यकतानुसार एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वाहन उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में सफल निविदादाता से किया गया अनुबंध समाप्त किया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

6– जमानत धनराशि

सफल निविदाता को अनुबन्ध हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर रूपये 100 के स्टाम्प पेपर के साथ रूपये 120000.00 की कार्यान्वयन जमानत राशि राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम एफ.डी.आर. के रूप में जमा करना आवश्यक होगा। अनुबन्ध समय सीमा के अन्तर्गत अगर फर्म सेवा देने में असफल होती है तो फर्म की जमानत धनराशि जब्त की जायेगी।

7– धरोहर राशि

धरोहर राशि के रूप में रूपये 45,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) की राशि राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, एफ0डी0आर0या बैंक गारंटी के रुप में संलग्न करना आवश्यक होगा, जो निविदा खुलने के दिनांक से अगले 45 दिन तक वैध हो। धरोहर राशि संलग्न न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि अनुबन्ध निष्पादित होने के पश्चात् वापस की जायेगी, अथवा जमानत राशि में समायोजित की जायेगी।

8– तकनीकी निविदा का मूल्यांकन

तकनीकी निविदा को कार्यालय द्वारा गठित समिति एवं इच्छुक निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा। मूल्यांकन के दौरान सभी शर्तों को पूर्ण करने वाले को ही सफल घोषित किया जाएगा तथा उस निविदाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। निविदा स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा। निविदा स्वीकृत करने हेतु दरों, आपूर्ति की गुणवत्ता तथा फर्म के प्रोफाईल एवं पुराने अनुभव को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाएगा।

9– नियम–

निविदादाता द्वारा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा–श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, पी0एफ0, ई0एस0आई0, मोटरयान अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा। (जहाँ लागू हो)

10– <u>कर एवं अन्य देयकों का भुगतान–</u>

- सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कार्यालय द्वारा की जाएगी।
- भुगतान हेतु विल प्रस्तुत करने के एक माह के अन्तराल में किया जायेगा। बिल के साथ यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम, यात्रा प्रारम्भ का स्थान, यात्रा प्रारम्भ का मीटर रीडिंग, गन्तव्य स्थान, गन्तव्य स्थान से वापसी का दिनांक व स्थान, यात्रा समाप्ति का मीटर रीडिंग तथा कुल तय की गई दूरी यात्रा उदेश्य आदि विवरण प्रपत्र–3 पर संलग्न करना होगा। लॉग बुक में मासिक आधार पर किये गये वाहन सम्बन्धी प्रविष्ठियां सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा सत्यापित की जायेगी। तत्पश्चात् बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। वाहन का भुगतान अनुमोदित दर तथा डीजल की देयता खपत दर के आधार पर किया जायेगा। भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर राज्य परियोजना निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

<u>सामान्य नियम एवं शर्ते</u>

प्रश्नगत निविदा के क्रम में राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में निम्नांकित नियम एवं शर्ते लागू होंगी, जिनकी पुष्टि में आवश्यक प्रमाण पत्र/वांछित अभिलेख संलग्न करना आवश्यक होगाः–

1. आवेदक को अपनी पात्रता से सम्बन्धित सेवाकर पंजीकरण, पैन न0, आयकर रिटर्न की विगत दो वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16) की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।
2. निविदाता के पास 02 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17) का सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं/कार्यालयों में सन्तोषजनक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
3. इच्छुक निविदादाताओं ट्रेवल एजेन्सी/फर्म/वाहन स्वामी को प्रमाण पत्र देना होगा कि उनकी फर्म/एजेन्सी द्वारा किसी सरकारी संस्थान निगम इत्यादि से किसी भी विधिक विवाद नहीं है।
4. निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। नियम व शर्तों के अनुरुप निविदा प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. इच्छुक निविदादाताओं ट्रेवल एजेन्सी/फर्म/वाहन स्वामी के पास 03 माडल वाहनों (इण्डिका, इण्डिगो, बोलेरो, इनोवा आदि) टैक्सी परमिट पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
6. सफल निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन, जो निविदा की तिथि से 03 वर्ष (1095 दिन) से अधिक पुराने वाहन की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
7. आपूर्ति किए जाने वाले वाहन उचित गुणवत्ता वाले होने चाहिएं वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा सीटकवर, तौलिया, फुटमैट आदि उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना आवश्यक है।
8. वाहन के टायर, बैट्री हैडलाईट बीम, ब्रैक, इन्डिकेटर, वाईपर, शाीशा एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।
9. वाहन नियमानुसार संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक की वर्दी, चालक लाइसेन्स आदि पर व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जाएंगे।
10. उत्तराखण्ड राज्य की सीमाओं के भीतर रोपित किये जाने वाले समस्त करों एवं अन्य वैधानिक देयताओं हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म उत्तरदायी होंगी।
11. प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु सम्बन्धित एजेन्सी/फर्म को अनापति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की यात्राओं में प्रदेश के बाहर देय करों तथा टोल टैक्स का भुगतान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा बिल के साथ भुगतान किया जायेगा।
12. आपूर्ति किए जाने वाले वाहन मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत आल इण्डिया परमिट से आच्छादित होनी चाहिए। किसी भी निजी वाहन की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

13. वाहन पर तैनात किए जाने वाला चालक वैध व्यवसायिक लाइसेन्स धारक होना चाहिए। वाहन का चालक चलाने की दृष्टि से स्वस्थ एवं अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना अपरिहार्य है।

14. आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे चालक, जो नशे के सेवन का आदी हो, को वाहन पर सेवायोजित नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा किसी चालक के सम्बन्ध में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की अपेक्षा की जा सकती है।

15. विभाग मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।

16. आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईधन, मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धित अन्य व्यय किया जा सके।

17. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो विभाग आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।

18. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।

19. आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्नठेके पर नहीं दिया जायेगा।

20. सामान्यतः मांग के अनुसार वाहन की उपलब्धता की अवधि 10 घंटे होगी जो प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक नियत होगी। उक्त समय सीमा का निर्धारण राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से समय–समय पर किया जायेगा जो सफल निविदादाता फर्म/एजेन्सी/वाहन स्वामी पर बाध्यकारी होगा।

21. मासिक आधार पर लिये जाने वाले वाहनो को प्रत्येक माह में एक दिवस (रविवार अथवा कार्यालय अवकाश) वाहन की सर्विसिंग/मरम्मत कराये जाने हेतु अनुमन्य होगा। किन्तु विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु अवकाश के दिनों में भी मासिक आधार पर लिय गये वाहनों को बुलाया जा सकता है, जिसके लिए निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

22. मासिक आधार पर अनुबंधित किये गये वाहन का किराया वित्तीय बिड में अंकित न्यूनतम दरो से माना जायेगा तथा माह के कुछ दिनो मुख्यालय से बाहर की गई यात्राओं पर भी वही लागू होगा।

23. सेवा प्रदाता के वाहन चालकों के पास पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने का प्र्याप्त अनुभवन व ड्राईविंग लायसेंस होना आवश्यक होगा। वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से मोबाईल फोन रखना होगा। जिसका रख–रखाव का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म स्वामी का होगा।

24. वाहन के लिए डीजल/ईंधन की आपूर्ति निम्न माईलेज के आधार पर की जाएगी।

क्र0सं0	वाहन का मॉडल/नाम	ईधन की खपत कि0मी0/ली0
1	टोयोटा इनोवा	10
2	टाटा इन्डिगो	13
3	टाटा इन्डिका	14
4	महिन्द्रा बोलेरो	10
5	स्विफ्ट डिजायर	10

25. उपरोक्तानुसार ईंधन की आपूर्ति दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) लॉगबुक के आधार पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को वाहन में नियमित रूप से लॉगबुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुए, उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित कराना होगा।

26. मासिक/ दैनिक आधार पर हायर किए गए वाहनों को मुख्यालय से बाहर वाहन के रात्रि विश्राम करने की स्थिति में रूपये 200.00 प्रति रात्रि की दर से रात्रि चार्जेज का भुगतान पृथक से किया जाएगा।

27. वाहन की लॉग बुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।

28. प्रत्येक माह के वाहन हायर के बिल आगामी माह की 10 तारीख तक कार्यालय में लाग बुक की प्रति, ड्यूटी स्लिप (यात्रा करने वाले अधिकारी से हस्ताक्षरित) के साथ उपलब्ध कराया जाना होगा।

29. वाहन में नियमानुसार स्टेपनी, टूल किट, फर्स्ट एक बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक हैं

30. एक निविदादाता की एक ही निविदा प्रपत्र जमा की जायेगी।

31. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, देहरादून को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

32. निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये 250.00 (वैट सहित) नगद जमा कर राज्य परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, देहरादून से प्राप्त किया जा सकता है।

33. वाहनों के किलोमीटर रन की गणना राज्य परियोजना कार्यालय एवं यात्रा करने वाले अधिकारी के आवास से की जायेगी एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक एवं अन्तिम मीटर रीडिंग की अंकना रनिंग रजिस्टर में करते हुए सत्यापन किया जायेगा। वाहन द्वारा वाहन स्वामी के गैराज से अधिकारी के आवास तथा वापसी में एक ओर की यात्रा हेतु अधिकतम 05 किमी अथवा वास्तविक दूरी जो भी कम हो अनुमन्य होगी। वाहन चालाकों को वाहन के रख–रखाव, साज–सज्जा, सफाई, अनुशासन, आज्ञापालन एवं समयबद्धता का विशेष पालन करना होगा। वाहन चालक के किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान परियोजना द्वारा नहीं किया जायेगा।

34. दण्डात्मक प्राविधानः–
क. ड्यूटी न करने की स्थिति में 500.00 प्रति दिन के हिसाब से कटौती की जायेगी।
ख. वाहन चालक अधिकारियों/अभिकर्मियों के साथ अभद्रता करने पर अनुबन्ध समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

35. किसी भी विवाद के लिए सिर्फ देहरादून स्थित सुसंगत न्यायलय में ही मामला उठाया जा सकता है।

36. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/वाहन स्वामी के विगत दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16))में औसत वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 20 लाख होना चाहिये तथा इन वर्षों में फर्म घाटे में नहीं रही हो (सी0ए0 बैलेंस शीट संलग्न होनी चाहिए)।

37. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून को फर्म द्वारा उचित सेवायें न देने पर अल्पकालीन नोटिस देने के साथ फर्म को कालीसूची (Blacklisted) में डालने का पूर्ण अधिकार होगा।

राज्य परियोजना निदशक
उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
उत्तराख्ण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून – 248008
फोन : 0135.2780422, वैबसाइट : http://rmsa.uk.gov.in/] ई–मेल : rmsauk@gmail.com

तकनीकी निविदा प्रपत्र–1

1. निविदादाता का नाम– ....
2. पता/फोन नं0 – ....

....

....

क्र0सं0	विवरण	हाँ	नहीं	संलग्नक की संख्या
1	फर्म का कार्यालय (देहरादून में स्थित)			
2	गत वर्षों (वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17) में किये गये कार्यों का विवरण (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)			
3	निविदादता की विधिक स्थिति (व्यक्तिगत/पार्टनरशिप प्रमाणपत्र संलग्न करें)			
4	सेवाकर पंजीकरण सं0/विवरण– (प्रमाण पत्र संलग्न करें)			
5	आयकर पैन नम्बर– (प्रमाण एवं गत दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16) का रिटर्न पत्र संलग्न करें)			
6	धरोहर राशि का विवरण– डी0डी0 नं0 – दिनांक – बैंक/शाखा का नाम–			
7	फर्म/एजेन्सी/वाहन स्वामी के विगत दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16) में वार्षिक टर्न ओवर (सी.ए. बैलेन्स शीट सलंग्न करें)।			
8	स्वामित्व वाहनों का नं0 तथा रजिस्ट्रेशन			
9	अन्य सूचना			

उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून – 248008

फोन : 0135.2780422, वैबसाइट : http://rmsa.uk.gov.in/] ई–मेल : rmsauk@gmail.com

प्रपत्र–2

वित्तीय बिड (किराये के वाहन हेतु)

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार		वाहन की एवरेज प्रति कि0मी		किराये की दर (रू0 में)					करों का विवरण	
						दैनिक		अल्पकालिक दर (प्रति घंटा)			
			पर्वतीय क्षेत्रों	मैदान क्षेत्रों	मासिक सभी मार्गो में	देहरादून के अन्दर	देहरादून से बाहर	देहरादून के अन्दर	देहरादून से बाहर		
1.	इनोवा	AC	10	10							
		Non AC	10	10							
2.	इण्डिगो	AC	13	13							
		Non AC	13	13							
3.	इण्डिका	AC	14	14							
		Non AC	14	14							
4.	बोलेरो	AC	10	10							
		Non AC	10	10							
5.	स्विफट डिजायर	AC	10	10							
		Non AC	10	10							
6.											
7.											

(डीजल की खपत उक्त अनुपात के अनुसार कुल चले गये किलोमीटर के आधार पर आगणित किया जायेगा एवं तत्समय के प्रमाणित बाजार दरों के अनुसार डीजल भुगतान किया जायेगा।)

मैं लिखित रुप से अपनी सहमति देता हूँ कि निविदा की सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य है तथा उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर वाहन आपूर्ति के लिये मैं इच्छुक हूँ। यदि मुझे स्वीकृत आदेश निर्गत किया जाता है तो मैं रूपये 100.00 के गैर अदालती स्टैम्प पेपर पर औपचारिक अनुबन्ध पत्र भरने के लिये राजी हूँ। मैने सभी शर्तो का भली भांति अध्ययन कर लिया है।

हस्ताक्षर
दिनांक
निविदादाता का नाम
एजेन्सी की मुहर

प्रपत्र – 3

Format of Duty Slip

(Print Name of the company & Address)

Sl. No. .... Date ....

(to be filled by Contractor)

1. Regn. No. of Vehicle ....
2. A/C or Non-A/C ....Model & year ....
3. Name, Designation & address of user ....
   ....
4. Purpose of Journey (detail) ....
5. Places visited ....
6. Meter Reading at Starting Point ....at closing Point....................................
7. Total KMs Run ....
8. Time at starting point .... at closing point...................................
9. Charges for Parking / Toll Tax etc...
10. Number of Night Halts (for outstation journey only)...

Signature of User

Driver's Name & Signature